प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 16.08.2026

➢ **थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 02 नाबालिग बालिकाओं को बहला फुसला कर ले जाने एवं 01 नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 13.08.2026 को थाना रूरा पर वादी द्वारा बावत उसकी नाबालिग पुत्रियों उम्र 16 वर्ष व उम्र 13 वर्ष को अभियुक्त इरफान द्वारा बहला फुसला कर अपने साथ शादी का झाँसा देकर कहीं ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0 246/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम इरफान पुत्र हसन अली निवासी ग्राम इन्दरूख, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त की अपहृताओं/पीड़िताओं को सकुशल बरामद करते हुए, बयान पीड़िताओं धारा 180/183 बीएनएसएस में वादी की पुत्री उम्र 13 वर्ष के बयानों में किसी अन्य जुर्म का होना नही पाया गया तथा वादी की पुत्री 16 वर्ष के बयानों के आधार पर जुर्म धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट का होना पाया गया। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व ¾ (2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त इरफान पुत्र हसन अली निवासी ग्राम इन्दरूख, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात को रूरा रेलवे स्टेशन पर टिकटघर के पीछे कस्बा व थाना रूरा से आज दिनांक 16.08.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

इरफान पुत्र हसन अली उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम इन्दरूख, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 0246/2026 धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सुधीर भारद्वाज
2. का0 671 भूपेन्द्र कुमार
3. का0 666 गौरव कुमार